पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–7] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 सितम्बर, 2006 ई0 (भाद्रपद 18, 1928 शक सम्वत्) [संख्या–36

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	323–328	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	115–117	1600
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्यायत्त शासन विभाग का क्रोड़ पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तरांचल	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तरांचल	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	45	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

29 अगस्त, 2006 ई०

संख्या 691/XXVII(8)/वाणि० कर/2006–तात्कालिक प्रभाव से श्री यू०एस० विष्ट, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, हरिद्वार संभाग, हरिद्वार तथा अतिरिक्त प्रभार ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा० / प्रवर्तन) को वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए जाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, देहरादून संभाग, देहरादून, जिसका अतिरिक्त प्रभार श्री सुरेश प्रकाश, एडिशनल कमिश्नर के पास है, के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

अधिसूचना

07 अगस्त, 2006 ई०

संख्या 1074(1)/VIII/62–प्रशि०/2005–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विश्व बैंक सहायतित योजना तथा भारत सरकार के सहयोग से सेन्टर ऑफ ऐक्सीलेन्स (सी०ओ०ई०) के रूप में विकसित किये जाने हेतु महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर में इन्स्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी (आई०एम०सी०) को निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

आई०टी०आई०, श्रीनगर हेतु पुनर्गठित आई०एम०सी०

क्र०सं०	सदस्य का नाम	पद
1.	श्री अम्बरीश त्रिपाठी, प्रबन्धक, सामग्री, बी०ई०एल०, हरिद्वार	अध्यक्ष
2.	उद्योग प्रतिनिधि (सी०आई०आई०) के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	उद्योग प्रतिनिधि (एफ०आई०सी०आई०आई०) के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	उद्योग प्रतिनिधि (उत्तरांचल इण्ड० एसो० के प्रतिनिधि)	सदस्य
5.	प्रतिष्ठित उद्योग संगठन प्रतिनिधि, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	डी०जी०ई०टी०, नई दिल्ली के प्रतिनिधि, निदेशक, ए०टी०आई०, देहरादून	सदस्य
7.	जिला सेवायोजन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	सदस्य
8.	वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य (आई०टी०आई०, श्रीनगर)	सदस्य
9.	प्रशिक्षणार्थी प्रतिनिधि, आई०टी०आई०, श्रीनगर	सदस्य
10.	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के प्रतिनिधि (संयुक्त निदेशक, प्रशि० / शिक्षु०, श्रीनगर)	सदस्य
11.	प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल	पदेन सदस्य / सचिव

2–राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक, दिनांक 26–8–2002 के कार्यवृत्त को निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के पत्रांक: 10341–35 / डी०टी०ई०यू० / प्रशि० / रा०स्टे०कमेटी / 2002, दिनांक 7–11–2002 द्वारा जारी किया

गया है, के पृष्ठ 04 से 09 में उल्लिखित दायित्वों का निर्वहन उक्त पुनर्गठित आई०एम०सी० द्वारा किया जायेगा। यदि इन दायित्वों को क्रियान्वयित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी द्वारा इसमें यथोचित समाधान की व्यवस्था की जायेगी।

3—उपरोक्त पुनर्गठित आई०एम०सी० के क्रमांक 2,3,4,5 में उल्लिखित सदस्यों का नामांकन पृथक से किया जायेगा।

आज्ञा से,

एस० राजू,
सचिव।

शासनादेश संख्या 1236/VIII/680—श्रम/02

प्रेषक,

एस० राजू,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. सभी विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय निगम।
7. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून तथा समस्त अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय, उत्तरांचल।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरांचल।
9. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून : दिनांक 4—8—2006

विषय — भवन और अन्य संनिर्माण इकाईयों/भवन निर्माताओं द्वारा देय रजिस्ट्रीकरण फीस और उपकर (Cess) के भुगतान जमा करने विषयक पृथक—पृथक प्रक्रिया।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 2405/VIII/680—श्रम/02, दिनांक 27 जनवरी, 2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वित्त विभाग द्वारा उक्त संदर्भित प्रकरण पर निम्नलिखित परामर्श दिया गया है कि :—

"प्रश्नगत फीस यदि राजस्व प्राप्ति है तो उसे श्रम विभाग के अनुदान के विभागीय लेखाशीर्षक 0230—श्रम तथा रोजगार—800 अन्य प्राप्तियां—99 अन्य विविध प्राप्तियां के अन्तर्गत अन्य विविध प्राप्तियों के हैड में जमा किया जा सकता है।"

अतः वित्त विभाग के उक्त परामर्श को दृष्टिगत रखते हुए मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 7 के अन्तर्गत भवन और अन्य संनिर्माण इकाईयों/भवन निर्माताओं के द्वारा देय रजिस्ट्रीकरण फीस जो श्रम विभाग की राजस्व प्राप्ति है, को उत्तरांचल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2005 के नियम 33 के अनुसार निम्नलिखित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा की जायेगी :—

"0230—श्रम तथा रोजगार—800 अन्य प्राप्तियां—99 अन्य विविध प्राप्तियां"

2–इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि चूँकि भवन और अन्य संनिर्माण इकाईयों/भवन निर्माताओं द्वारा देय उपकर (Cess) श्रम विभाग की राजस्व प्राप्ति नहीं है अतः उपकर का भुगतान श्रम विभाग के विभागीय लेखाशीर्षक में जमा नहीं किया जायेगा बल्कि उत्तरांचल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव के पक्ष में जमा कर देहरादून में देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के रेखांकित मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से उत्तरांचल भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को प्रेषित किया जायेगा जैसा कि भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 के साथ पठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम 4 में प्रावधान किया गया है।

भवदीय,

एस० राजू,
सचिव।

संख्या 84/VIII/04–प्रशि०/2006

प्रेषक,

टी० आर० भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग देहरादून : दिनांक 7 अगस्त, 2006

विषय – हरिद्वार में विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए इसके संचालनार्थ 26 अस्थाई पदों का सृजन किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए, इसके लिए प्रस्तावित आठ व्यवसाय कोपा, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, पेंटर जनरल, इन्स्ट्रूमेंट मेकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं वैल्डर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 26 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद की भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28–02–2007 तक के लिए, बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार हेतु पदों का विवरण :

क्र०सं०	पदों का नाम	स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	प्रधानाचार्य	01	8000–13500
2.	कार्यदेशक	01	6500–10500
3.	व्यवसाय अनुदेशक	08	5000–8000
4.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5000–8000
5.	अनुदेशक कला/गणित	01	5000–8000

1	2	3	4
6.	सहायक भण्डारी	01	4000–6000
7.	वरिष्ठ सहायक	03	4000–6000
8.	कनिष्ठ लिपिक	01	3050–4590
9.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2610–3540
10.	अनुसेवक	01	2550–3200
11.	चौकीदार	05	2550–3200
12.	स्वच्छकार	01	2550–3200
	योग	26	

2–उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

प्रारम्भ किये जा रहे व्यवसायों का विवरण :

क्र०सं०	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	कोपा	01	20
2.	फिटर	01	16
3.	टर्नर	01	12
4.	मशीनिस्ट	01	12
5.	पेंटर जनरल	01	16
6.	इन्स्ट्रूमेन्ट मेकेनिक	01	16
7.	इलेक्ट्रॉनिक्स	01	16
8.	वैल्डर	01	12

3–उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रुपये 2,80,38,000/– (रुपये दो करोड़ अस्सी लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बजट व्यवस्था : (धनराशि हजार रुपये में)

क्र०सं०	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01–वेतन	01
2.	03–मंहगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	10
6.	09–विद्युत देय	01
7.	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	21–छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	01
9.	26–मशीनें साज–सज्जा/उपकरण	28000
10.	42–अन्य व्यय	20
11.	48–मंहगाई वेतन	01
	योग	28038

4–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5–व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डी जी एस एण्ड डी की दरों अथवा शर्तों, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन०सी०वी०टी० के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2007 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुदान संख्या–16, मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान–आयोजनागत–00 के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8–यह आदेश अशासकीय संख्या : यू0ओ0–469/वित्त अनुभाग–5/2006, दिनांक 01 अगस्त, 2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

टी० आर० भट्ट,
अपर सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

09 जून, 2006 ई०

संख्या 743/VIII/06–701–प्रशि०/टी०सी०–1/2004–शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत शासनादेश संख्या: 2332/VIII/701–प्रशि०/2004, दिनांक 18–12–2004 के द्वारा स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ढोकाने विकास खण्ड रामगढ़, जिला नैनीताल का नाम परिवर्तित कर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,कमोली विकास खण्ड रामगढ़, जिला नैनीताल किया जाता है।

17 जुलाई, 2006 ई०

संख्या 1199/VIII/06–68–प्रशि०/2006–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार के आदेश संख्या : 27/15/2006–एस०आर० (एस०), दिनांक मई 2006 द्वारा उत्तरांचल को अंतिम रूप से आवंटित राज्य प्रशिक्षण सेवा के अधिकारी श्री पी०के० घारीवाल, जिन्होंने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या: 814/एस/टी–I/0302/उत्तरांचल/2006, दिनांक 14 जून, 2006 के क्रम में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में दिनांक 19 जून,.2006 को योगदान दिया है, को तात्कालिक प्रभाव से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, युवक, देहरादून में प्रधानाचार्य श्रेणी–1 के रिक्त पद पर तैनात किया जाता है।

2–शासन की विज्ञप्ति संख्या: 1993/VIII/10–प्रशि०/2005, दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि श्री जे०एम० नेगी, प्रधानाचार्य, श्रेणी–दो को शासकीय हित में अग्रिम आदेशों तक उपप्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, युवक, देहरादून के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आर० के० चौहान,
अनुसचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 36 हिन्दी गजट/408–भाग 1–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ए0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 सितम्बर, 2006 ई0 (भाद्रपद 18, 1928 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, मुख्य अभियंता एवं निदेशक
प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान,
कालागढ़ (गढ़वाल)

विज्ञप्ति

19 जुलाई, 2006 ई0

संख्या 1176/प्रअप्रसं/ई–7/111वाँ आधारभूत/स0अ0/सि0वि0–प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, कालागढ़ के 111वाँ आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणरत सहायक अभियंताओं हेतु संस्थान द्वारा दिनांक 6–7–06 से दिनांक 11–7–06 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित निम्नलिखित सहायक अभियंताओं (या0), सिंचाई विभाग, उत्तरांचल को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्र0 सं0	नामांकन संख्या	सहायक अभियंता का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	गृह जनपद
1.	1770	सर्वश्री हरीश चन्द्र तिवारी	15–08–47	सर्वश्री पी0 एन0 तिवारी	अल्मोड़ा
2.	1771	" सुरेश पाल	01–01–63	" भुल्लन सिंह	सहारनपुर
3.	1772	" अशोक कुमार गोयल	07–06–47	" राम चन्द्र	मेरठ

19 जुलाई, 2006 ई0

संख्या 1177/प्रअप्रसं/ई–7/98वाँ आधारभूत/स0अ0/सि0वि0/पुनःपरीक्षा–प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, कालागढ़ के 98वाँ आधारभूत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त निम्नलिखित सहायक अभियंताओं (सिविल) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को शासनादेश सं0 : 1583/23–सि0–1/87/342/85, दिनांक 7–3–87 में दिये गये प्राविधानानुसार इस संस्थान द्वारा दिनांक 7–7–06 को आयोजित पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्र० सं०	नामांकन संख्या	सहायक अभियंता का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	गृह जनपद
1.	1596	सर्वश्री ईश्वरदीन	20–07–48	सर्वश्री जियालाल	हरदोई
2.	1599	" सुरेश कुमार	04–12–53	" फेकूराम	आजमगढ़
3.	1605	" गोबरे लाल	21–07–48	" लोक राम	सीतापुर
4.	1611	" रामबूझ चौधरी	05–01–48	" अयोध्या प्रसाद	सन्तकबीर नगर

बी० बी० एल० मित्तल,
मुख्य अभियंता एवं निदेशक।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

07 अगस्त, 2006 ई०

पत्रांक 442/13–1–1–मुझे सूचित करना है कि मैंने प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट का कार्यभार उत्तरांचल शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1, संख्याः 4126/(एक्स)–1–2006–4(31)/2006, देहरादून, दिनांक 01–08–2006 के अनुसार आज दिनांक 07–08–2006 के अपरान्ह में श्री रमेश चन्द्र (रा०व०से०) को हस्तान्तरित कर दिया है। अतः इस वन प्रभाग से सम्बन्धित गोपनीय/अर्द्धशासकीय पत्र अब उन्हीं के नाम से सम्बोधित करने की कृपा करें।

भवदीय,

सुशांत पटनायक,
उप वन संरक्षक,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

07 अगस्त, 2006 ई०

पत्रांक 443/13–1–1–आपको सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी ने अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट का कार्यभार दिनांक 07–08–2006 के अपरान्ह में ग्रहण कर लिया है।

अतः समस्त गोपनीय/अर्द्धशासकीय पत्र–व्यवहार तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी के नाम से सम्बोधित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

रमेश चन्द्र,
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

न्यायालय नियत प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी नैनीताल

अधिकतम जोत सीमा आकार पत्र–6

[नियम–13 देखिये]

विज्ञप्ति

18 जुलाई, 2006 ई०

सीलिंग वाद संख्या 51/2/वर्ष 2006–उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1991) की धारा 14 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में श्री एच० सी० सेमवाल नियत प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), नैनीताल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11/12/13 के अधीन अवधारित खातेदारों की अतिरिक्त भूमि को एतद्द्वारा नीचे की अनुसूची में विज्ञापित करता हूँ :

1. नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर–
2. तहसील/परगना–
3. जिला नैनीताल

क्र० सं०	खातेदार का नाम, पितृनाम और निवास स्थान	जिला	तहसील/परगना	गाँव	खाता खतौनी संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल असिंचित (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल सिंचित (हेक्टेयर में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	असल खातेदार								
1.	श्री सोहन सिंह पुत्र गुरूबक्स सिंह, निवासी ग्राम नरीपुर, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल वर्तमान खातेदार श्री सुच्चा सिंह पुत्र ज्ञान सिंह	नैनीताल	कालाढूँगी	पूरनपुर	146	302/2 अ	1.028		ग्राम पूरनपुर की कुल रकबा 92–12 बीघा (5.858 हे०) तथा ग्राम नरीपुर की कुल रकबा 6–1 बीघा (0.506 हे०) इस प्रकार उक्त दोनों ग्रामों की कुल रकबा 100 बीघा 13 बिस्वा (6.364 हे०) भूमि का कब्जा लिया जाना है।
						306/1	0.032		
						308	0.092		
						309	0.557		
						310	0.820		
						311	0.979		
						320/1	3.153		
				कुल रकबा			5.858 हे० (92–12 बीघा)		
	श्री सोहन सिंह पुत्र गुरूबक्स सिंह, निवासी ग्राम नरीपुर, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल	नैनीताल	कालाढूँगी	नरीपुर	33	14 मि० (उत्तरी भाग)	0.297		
						11 मि०	0.146		
						10 मि०	0.063		
				कुल रकबा			0.506 हे० (6–1 बीघा)		

एच० सी० सेमवाल,
नियत प्राधिकारी (सीलिंग)/अपर कलेक्टर,
नैनीताल।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 36 हिन्दी गजट/408–भाग 1–क–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डीएन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 सितम्बर, 2006 ई0 (भाद्रपद 18, 1928 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नाम परिवर्तन हेतु सूचना

मैं, श्रीमती सुदेश कुमारी उर्फ श्रीमती मीनाक्षी कुकरेजा, पत्नी भूतपूर्व कॉरपोरल श्री मदनलाल कुकरेजा, निवासिनी 4/8, काली मंदिर एन्कलेव, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून, उत्तरांचल, ने दिनांक 01–08–2006 को देहरादून में नोटरी, उत्तरांचल सरकार के समक्ष प्रस्तुत शपथ–पत्र के द्वारा अपना नाम श्रीमती सुदेश कुमारी से परिवर्तित करके श्रीमती मीनाक्षी कुकरेजा कर लिया है। भविष्य में मुझे श्रीमती मीनाक्षी कुकरेजा के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

मीनाक्षी कुकरेजा।

कार्यालय, जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर

(शुद्धि–पत्र)

06 सितम्बर, 2006 ई0

पत्रांक 942/राजस्व/गजट/2006–07–सरकारी गजट, उत्तरांचल, दिनांक 24–12–05 के भाग सं0 3 में पंचायत राज अनु0 जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की उपविधियों में प्रकाशित पृष्ठ सं0 96 पर नियम 11(1) एवं 11(2) में मिलों/फैक्ट्रियों की संशोधित उपविधि प्रकाशित हुई है। इसी संशोधन नियम सं0 (11) के खण्ड 3 प्रकाशन होने से छूट गया है जो कि निम्नवत् है :–

> 11 (3) सभी ऐसी मिलें/फैक्ट्री जिनमें (10) से अधिक श्रमिक/कर्मचारी तथा (25) से कम श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों तो लाइसेंस शुल्क रु0 2500/– तथा (25) से अधिक (50) से कम श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाइसेंस शुल्क रु0 4000/– प्रति वर्ष देय होगा, जिस मिल/फैक्ट्री में (50) से अधिक श्रमिक/कर्मचारी व (100) से कम श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों तो लाइसेंस शुल्क उस मिल/फैक्ट्री हेतु रु0 5,000/– देय होगा। (100) से अधिक (150) से कम श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर उस मिल/फैक्ट्री का लाइसेंस शुल्क रु0 8,000/– होगा। (200) से (250) श्रमिक/कर्मचारियों के कार्यरत होने पर लाइसेंस शुल्क रु0 25,000/– प्रतिवर्ष देय होगा। (250) से अधिक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाइसेंस शुल्क रु0 40,000/– प्रति वर्ष देय होगा।

शेष सभी शर्तें उपविधि के यथावत् रहेंगी।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/408–भाग 8–2006 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रुड़की।